इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 513] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 नवम्बर 2011—अग्रहायण 4, शक 1933

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2011

क्र. 24498-वि.स.-विधान-2011.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2011 (क्रमांक 40 सन् 2011) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तद्नुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ४० सन् २०११

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक- ५) विधेयक, २०११

३१ मार्च, १९९४ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उन रकमों से, जो उन सेवाओं के लिये और उस वर्ष के लिये मंजूर की गई थी, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये उपबंध करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-५) अधिनियम, २०११ है.

३१ मार्च, १९९४ को समाप्त हुए वर्ष के कतिपय अधिक व्यय की पूर्ति करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से रु. २,५८,११,३४,८६६ का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट वे राशियाँ, जिनका कुल योग दो सौ अट्ठावन करोड़ ग्यारह लाख चौंतीस हजार आठ सौ छियासठ रुपये होता है, उक्त अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत् प्रभारों को चुकाने के लिए ३१ मार्च, १९९४ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान उन रकमों से, व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिए दी और उपयोजित की जाने के लिये प्राधिकृत की गई समझी जायेगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम के अधीन मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत की गई समझी गई राशियां, अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए ३१ मार्च, १९९४ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में विनियोजित की गई समझी जाएंगी.

अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिये)

(१) अनुदान का क्रमांक	(२) सेवायें और प्रयोजन		(३) आधिक्य		
			मतदत्त	भारित	योग
			(राशि रुपये में)	**(राशि रुपये में)**	(राशि रुपये में)
०३.	पुलिस				
		राजस्व	४,०४,४४,७५०	०	४,०४,४४,७५०
०८.	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन				
		राजस्व	९८,५६,२९७	०	९८,५६,२९७
१५.	पशुपालन (डेयरी)				
		राजस्व	१,५६,८३१	०	१,५६,८३१
१६.	मछली पालन				
		राजस्व	१५,६५,१७४	०	१५,६५,१७४

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	**रुपये**	रुपये
२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी				
		राजस्व	८४,७०,२०,४०९	०	८४,७०,२०,४०९
२४.	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल				
		राजस्व	५४,६०,४१,९६१	०	५४,६०,४१,९६१
२७.	स्कूल शिक्षा				
		पूंजी	१,०३,६१,३६	०	१,०३,६१,३६
२९.	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन				
		राजस्व	३,८८,७४४	०	३,८८,७४४
३०.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय				
		राजस्व	१६,९४,१०,३१८	**५०,४१८**	१६,९४,६०,७३६
४२.	लोक निर्माण से संबंधित आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-सड़कें एवं पुल				
		राजस्व	१,४८,३१,१५१	०	१,४८,३१,१५१
४४.	उच्च शिक्षा				
		पूंजी	५,०९,०४०	०	५,०९,०४०
४५.	जल संसाधन (लघु सिंचाई निर्माण कार्य)				
		राजस्व	२,५२,४५,४९२	०	२,५२,४५,४९२
४९.	अनुसूचित जाति कल्याण				
		राजस्व	१,३८,४३३	०	१,३८,४३३
५१.	धार्मिक न्यास और धर्मस्व				
		राजस्व	०	**३,८१,५९२**	३,८१,५९२
५७.	जल संसाधन				
		पूंजी	३,३९,०५,९६५	०	३,३९,०५,९६५
५८.	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय				
		राजस्व	९,५३,००,८०३	०	९,५३,००,८०३
६७.	लोक निर्माण कार्य-भवन				
		राजस्व	७५,०८,५३,१८०	०	७५,०८,५३,१८०
		पूंजी	१,११,५०,२२४	०	१,११,५०,२२४

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	**रुपये**	रुपये
७०.	जनशक्ति नियोजन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं				
		पूंजी	२,३५,२३,५७५	०	२,३५,२३,५७५
७३.	आवास एवं पर्यावरण विभाग (वृक्षारोपण, वनीकरण, पर्यावरण एवं पड़त भूमि के विकास से संबंधित व्यय)				
		पूंजी	९३,२४,३७३	०	९३,२४,३७३
	योग :	राजस्व	२,५०,१२,५३,५४३	**४,३२,०१०**	२,५०,१६,८५,५५३
		पूंजी	७९४४९३१३	०	७९४४९३१३
	वृहद योग :		**२,५८,०७,०२,८५६**	**४,३२,०१०**	**२,५८,११,३४,८६६**

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित उसके अनुच्छेद २०४(१) के अनुसरण में मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग के लिये उपबंध करने हेतु पुर:स्थापित किया जा रहा है, जो उक्त निधि पर भारित विनियोग से तथा ३१ मार्च, सन् १९९४ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार के व्यय हेतु विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदानों से अधिक हुये व्यय की पूर्ति करने के लिये अपेक्षित है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख : २३ नवम्बर, २०११

राघवजी
भारसाधक सदस्य.

''संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.''

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.